लड़कियों की शादी की उम्र 21 वर्ष करने संबंधित भारत सरकार के प्रस्ताव के संदर्भ में महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन

डॉ कृष्ण कुमार सहायक प्राध्यापक, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, हरियाणा

ईमेल-krishjmc007@gmail.com, मोबाइल – 8199990007

सारः-

भारत में प्राथमिक शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन में लड़कियों का प्रतिनिधित्व लड़कों से अधिक है। इसके बावजूद कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों की तुलना में बेहद कम है। स्पष्ट है कि पढ़ाई के उपरांत लड़कियों की एक बड़ी आबादी कामकाजी वर्ग (लेबर वर्कफोर्स) में शामिल नहीं हो पा रहीं हैं। भारतीय समाज पुरुषवादी सामाजिक ढांचे पर चल रहा है। देश में सामाजिक परिस्थितियों महिलाओं के पक्ष में नहीं हैं। समाज में ज्यादातर लड़कियों के लिए शिक्षा हासिल करने के बाद नौकरी करने के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और उन्हें जबरदस्ती शादी करने पर मजबूर किया जाता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में भारत सरकार द्वारा देश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने संबंधित लोकसभा में पेश प्रस्ताव से संबंधित पक्षों का अध्ययन किया गया। द्वितीय स्त्रोतों से प्राप्त जानकारी के अध्ययन करते हुए लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने की अवश्यता तय करने वाले कारकों की समीक्षा की गई। नए कानून से लड़कियों के पास अपनी उच्च शिक्षा हासिल करने व रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी। क्योंकि 18-21 वर्ष की आयु तक लड़कियाँ हायर एजुकेशन में दाखिल होती हैं और बेहतर रोजगार के अवसर भी 12वीं और ग्रेजुएशन के बाद ही खुलते हैं।

परिचयः-

वर्ष 2021 में जारी हुई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 20 से 24 वर्ष की 23 फीसद लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पूर्व ही कर दी गई। सर्वे में 15 से 19 वर्ष की 6.8 फीसद लड़कियाँ या तो गर्भवती थी या फिर मां बन चुकी थी।

देश की महिलाओं की आबादी केसामाजिक रूप से पिछड़ेपन को जाहिर करने वाले ये आंकड़े सामने होने के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने संबंधी संसद में पारित करवाए गए प्रस्ताव का विपक्षी पार्टियां सहित कुछ खाप पंचायतें विरोध कर रहीं हैं।देश में आजादी के 75 वर्ष बाद भी महिलाएँ समाज में अपना वाजिब प्रतिनिधित्व हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। शिक्षा, रोजगार व स्वास्थ्य से जुड़ी अनेक सरकारी रिपोर्ट के आंकड़ों का अध्ययन करने पर यह कहा जा सकता है कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल होने के कारण शिक्षा व रोजगार के समुचित अवसर उन्हें नहीं मिल पा रहे। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा मंत्रालय की 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार हायर सेकेंडरी लेवल पर लड़कियों का नेट एनरोलमेंट 33.3 फीसद था, जबकि माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का नेट एनरोलमेंट (एनईआर) 50.3 फीसद था। इस आंकड़े से स्पष्ट है कि 17 फीसद लड़कियां माध्यमिक शिक्षा के बाद हायर सेकेंडरी स्तर की कक्षा में नहीं पहुंची। लड़कियों में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर रहता है। इस स्तर पर औसतन लड़कियों की उम्र 16 से 18 वर्ष के बीच होती है। वर्ष 2019-20 में प्राथमिक शिक्षा में लड़कियों का शुद्ध सकल नामांकन अनुपात (नेट एनरोलमेंट रेश्यो) 90.3 फीसद रहा जबकि माध्यमिक स्तर की कक्षाओं में आते ही यह महज यह 50.3 के स्तर पर आ गया। करीब 40 फीसद लड़कियां को 10वीं कक्षा के बाद की शिक्षा जारी नहीं रख पाई। कमोबेश यही स्थिति हायर एजुकेशन में भी नजर आती है, जहाँ 2019-20 के वर्ष में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात (ग्रॉस एनरोलमेंट रेश्यो) 27.3 फीसद था। सबसे खास बात ये है कि 2019-20 के दौरान शिक्षा मंत्रालय की स्कूल व उच्च शिक्षा दोनों में लड़कियों का नामांकन लड़कों से अपेक्षाकृत अधिक रहा। अर्थात लड़कियों में शिक्षा हासिल करने का जज्बा लड़कों से अधिक है। सरकारी रिपोर्टों से यह भी स्पष्ट होता है कि लड़कियों का हायर एजुकेशन में उतीर्ण फीसद लड़कों से कहीं ज्यादा है।

महिलाओं में शिक्षा से संबंधित आंकड़े

वर्ष	सकल नामांकन अनुपात (प्राइमरी शिक्षा)	सकल नामांकन अनुपात (उच्चतर शिक्षा)
2015-16	100.7	26.7

2016-17	96.4	27.3
2017-18	95.4	26.9
2018-19	101.78	28.9
2019-20	103.7	31.2

(स्त्रोत - शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)

शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की जानी वाली शिक्षा से संबंधित वार्षिकरिपोर्ट का अध्ययन बताता है कि लड़कियों की स्कूली शिक्षा करीब 18 वर्ष की आयु के समय पूरी होती है। इसके बाद वह उच्च शिक्षा में कदम रखने के सपने संजो ही रही होती है और परिवार की तरफ से शादी का दबाव डाला जाता है। फैमिली हेल्थ सर्वे- 5 में भी यही बात सामने आई कि 23 फीसद लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र पूरी होने से पहले ही कर दी। कम उम्र में शादी होने से लड़की के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। शादी की उम्र 21 साल करने से लड़कियों के पास उच्च शिक्षा व रोजगार हासिल करने के अवसर ज्यादा होंगे। क्योंकि 18 वर्ष की आयु का पड़ाव लड़की की जिंदगी में बेहद महत्वपूर्ण होता है। औसतन 18-21 वर्ष की आयु के बीच ही लड़कियाँ हायर एजुकेशन में दाखिल होती हैं और ज्यादातर लड़कियों पर परिवार 18 साल की उम्र होते ही शादी का दबाव डालने लगते हैं। अगर 21 वर्ष शादी की उम्र होती है तो तीन सालों के दौरान उच्चतर शिक्षा में दाखिल होने के अवसर बढ़ेंगे। बेहतर नौकरियों के ज्यादातर विकल्प भी 12वीं और स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी करने के उपरांत ही खुलते हैं। ऐसे में इस अवधि में लड़कियां स्वयं के सपनों को साकार करने में काबिल होंगी और देश की लेबर फोर्स में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व निश्चित तौर पर बढ़ेगा।

नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो यहां भी उनकी उम्र व शादी तरक्की में आड़े नजर आती है। महिलाओं में बेरोजगारी दर पुरुषों से अधिक है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2018-2019 की रिपोर्ट का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि महिलाओं की शादी उनकी तरक्की में बड़ी अड़चन है। इस सर्वे में सर्विस सेक्टर में शादीशुदा महिलाओं का प्रतिनिधित्व 23.9 फीसद था जबकि गैर शादीशुदा महिलाओं की भागीदारी 47.8 फीसद। खेती के कामकाज से जुड़ी 58 फीसद महिलाएं शादीशुदा थी जबकि 27.3 फीसद अविवाहित महिलाएं खेती के कामकाज से जुड़ी थी। अध्ययन के अनुसार शादी के बाद महिलाओं के

बेहतर रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। बीते वर्षों में लेबर फोर्स में महिलाओं की भागीदारी 26 फीसद से नीचे लुढ़कते हुए मात्र 16 फीसद पर आ गई।

कामकाजी वर्ग (लेबर फोर्स) में महिलाएँ

वर्ष	लेबर फोर्स में महिलाओं का प्रतिशित
2005	31.79 प्रतिशत
2010	23.04 प्रतिशत
2015	21.29 प्रतिशत
2020	16.01 प्रतिशत

(स्त्रोत - श्रम मंत्रालय, भारत सरकार)

वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार द्वारा लड़कियों की विवाह की उम्र को 3 साल आगे बढ़ाने के कदम का कुछ लोग इन तर्कों के साथ विरोध कर रहे हैं कि सरकार बाल विवाह की बुराई को खत्म करने व महिला सशक्तिकरण के लक्ष्यों को जागरूकता अभियान या सरकारी योजनाएं लागू करके हासिल कर सकती है। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि समाज से किसी भी कुरीति को खत्म करने में जागरूकता अभियान के अलावा प्रवर्तन/कानून की भी अपरिहार्य भूमिका होती है। कोई भी बड़ा सामाजिक बदलाव केवल सामाजिक जागरुकता के बलबूते पर लाना बेहद लंबी व जटिल प्रक्रिया है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए भी अनेक तरह के कानून को सख्त किया जा रहा है। भारत ही नहीं विश्व में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि सामाजिक बुराई को दूर करने में सरकार द्वारा जागरुकता अभियानों के समानांतर कानून की सख्ती लागू करते हुए समाज में परिवर्तन लाया गया।

हालांकि कुछ तर्क ये भी दिए जा रहे हैं कि विश्व के ज्यादातर देशों में विवाह की उम्र 18 साल है। जबकि हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि प्रत्येक देश की सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियां अलग तरह की होती हैं। ऐसे भी कई देश मौजूद हैं जहां विवाह की उम्र 21 तथा 22 साल निर्धारित है। जिस दौर में हम महिला-पुरुष अधिकारों की समानता की बात करते हैं ऐसे में समय में दोनों वर्गों के लिए एक समान विवाह की उम्र का फैसला सामाजिक नजरिए से सही लगता है। समाज के एक वर्ग द्वारा यह भी तर्क दिया जा रहा है कि 18 साल की उम्र में महिला व पुरुष लैंगिंग रूप से अर्थात सेक्सुअली परिपक्व हो जाते हैं। ऐसे कदम से

समाज में युवाओं के बीच लैंगिक अपराध बढ़ सकता है। लेकिन सेक्स महिला व पुरुष के बीच का मामला है और वर्तमान में भी कानूनी रूप से पुरुषों की शादी की उम्र 21 वर्ष है।

निष्कर्षः-

प्रस्तुत अध्ययन में शामिल महिलाओं के सामाजिक आर्थिक पक्षों से जुड़े आंकड़ों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकलता है कि सरकार का यह निर्णय हमें देश में महिलाओं को सशक्तिकरण करने के नजरिये से एक साकारात्मक कदम है। जिस वर्ग (महिलाओं) को यह कानून सीधे तौर पर प्रभावित करेगा; उसकी तरफ से इस बदलाव के खिलाफ कोई बड़ी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही तथा देश की महिलाओं का रुख इस प्रस्तावित कानून के समर्थन में स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि अभी केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में लड़कियों की शादी की उम्र 21 वर्ष करने संबंधित बिल पेश किया गया है और बिल की संवेदनशीलता को देखते हुए इसे लोकसभा की स्थाई समिति के पास प्रेषित किया गया है।इसे कानून का रूप लेकर लागू होने की संभावनाओं पर अभी असमंजस बरकरार है। प्रत्येक कानून में कुछ कमियाँ होती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता कि किसी कानून से सबसे बड़ा फायदा समाज को क्या मिल रहा है। इस कानून के लागू होने से महिलाओं के निश्चित तौर पररोजगार व शिक्षा अवसरों में इजाफा होगा जिससे वह आर्थिक रूप से समृद्ध होंगी और अपने अधिकारों के प्रति आवाज उठाने में और अधिक सक्षम। शादी की उम्र 21 वर्ष होने पर लड़कियों की कामकाजी आबादी/लेबर फोर्स में भागीदारी में इजाफा होगा तथा भारतीय महिलाएँ आर्थिक रूप सशक्त होने से अपने जीवन के निर्णय लेने में सक्षम होंगी। सरकार को इस प्रस्तावित कानून को लागू करने के लिए कई अन्य कानूनों में भी फेरबदल करना होगा।

संदर्भ सूची

1- जोशी, गोपी. (2015). भारत में स्त्री असमानता. नई दिल्ली: हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय.

2- एंगेल्स, फ्रेडरिक. (2010). परिवार, निजी सम्पत्ति और राज्य की उत्पत्ति. नई दिल्लीः पीपुल्स पब्लिकेशन हाउस.

3- सूर, अतुल. (2007) भारत में विवाह का इतिहास. गाजियाबादः रेमाधव पब्लिकेशन्स प्रा. लि.

4- Sweta, Parshad. (2011). Women in India. Delhi: Viva Books
5- https://hindi.theprint.in/india/marriage-age-for-girls-from-18-to-21-years-in-favor-for-girls-or-not-modi-govt-parliament/257464/
6- https://indianexpress.com/article/opinion/columns/raising-women-marriage-age-to-21-empowerment-7708636/
7- https://www.education.gov.in/en/documents_reports
8- https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1753531
9- http://rchiips.org/nfhs/factsheet_NFHS-5.html
10- Goyal R P. (1988) Marriage Age in India. New Delhi: BR Publishing Corporation